

**कार्यालय:-प्रभारी अधिकारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच (मध्य प्रदेश)**

आदेश क्रमांक 15 / रिमाण्ड ड्यूटी / 24


नीमच, दिनांक 02/04/2024


मैं श्रीमती पुष्पा तिलगाम, प्रभारी अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच जिले में पदस्थ निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटों की माह **माह अप्रैल 2024** में समस्त सार्वजनिक अवकाश के दौरान निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी लगाती हूँ जो उनके मुख्यालय कार्यस्थल पर ही समय सायं **03:00 बजे से 05:00 बजे तक** रहेगी।

अप्रैल माह की रिमाण्ड		
नीमच मुख्यालय		
क्रमांक	रिमाण्ड दिनांक	न्यायाधीश का नाम
1	09.04.2024	श्रीमती पुष्पा तिलगाम, जे.एम.एफ.सी. नीमच
2	11.04.2024	श्रीमती रेखा मरकाम, जे.एम.एफ.सी. नीमच
3	17.04.2024	सुश्री अंकिता गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. नीमच
4	21.04.2022	श्री विशाल खाड़े, जे.एम.एफ.सी. नीमच
5	07.04.2024, 14.07.2024, 28.04.2024	श्री अंकित जैन, जे.एम.एफ.सी. नीमच
तहसील न्यायालय जावद		
1	14.04.2024, 17.04.2024, 21.04.2024, 28.04.2024	सुश्री प्रीति परिहार, जे.एम.एफ.सी. जावद
2	07.04.2024, 09.04.2024, 11.04.2024	श्री रवि वर्मा, जे.एम.एफ.सी. जावद
तहसील न्यायालय मनासा		
1	07.04.2024, 09.04.2024, 11.04.2024, 14.04.2024	श्री सक्षम नरूला, जे.एम.एफ.सी. मनासा
2	17.04.2024, 21.04.2024, 28.04.2024	सुश्री शिवांगी परिहार, जे.एम.एफ.सी. मनासा

**नोट:-**

- यदि किसी कारणवश माह **अप्रैल 2024** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी कार्य दिवस को अवकाश घोषित किया जाता है तो उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी नीमच मुख्यालय पर **श्री अंकित जैन, जे.एम.एफ.सी. नीमच**, जावद मुख्यालय पर **श्री रवि वर्मा, जे.एम.एफ.सी. जावद** एवं मनासा मुख्यालय पर **सुश्री शिवांगी परिहार, जे.एम.एफ.सी. मनासा** संपादित करेंगे। यदि उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी कारणवश मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं हो तो कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।
- रिमाण्ड ड्यूटी न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा लिखित में समायोजित की जा सकती है। परस्पर समायोजन का आवेदन संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण द्वारा उसकी स्वीकृति सहित हस्ताक्षरित हो, जिसकी अभिस्वीकृति सहित सूचना मुझे एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, नीमच को पर्याप्त समय पूर्व भेजी जावे। यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेटगण समायोजन स्वयं के दायित्व पर एवं **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से करेंगे**।
- रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान पीठासीन अधिकारी के साथ संबंधित न्यायालय के समस्त कर्मचारीगण भी समय 03:00 बजे से 05:00 बजे के बीच उपस्थित रहेंगे।

*अनुमति*  
  
**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश**  
**नीमच (म. प्र.)**


  
**(श्रीमती पुष्पा तिलगाम)**  
 वास्ते- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमच

**कार्यालय:- प्रभारी अधिकारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच, जिला नीमच (म0प्र0)**

पृष्ठांकन क्रमांक 163/2024  
प्रतिलिपि :-

नीमच, दिनांक 02/04/2024

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय नीमच की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमती पुष्पा तिलगांम, जे.एम.एफ.सी. नीमच की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. श्रीमती रेखा मरकाम, जे.एम.एफ.सी. नीमच की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. सुश्री अंकिता गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. नीमच की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. श्री विशाल खाड़े, जे.एम.एफ.सी. नीमच की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. श्री अंकित जैन, जे.एम.एफ.सी. नीमच की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. सुश्री प्रीति परिहार, जे.एम.एफ.सी. जावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. श्री रवि वर्मा, जे.एम.एफ.सी. जावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. श्री सक्षम नरूला, जे.एम.एफ.सी. मनासा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. सुश्री शिवांगी परिहार, जे.एम.एफ.सी. मनासा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. जिलाधीश, नीमच की ओर सूचनार्थ।
12. पुलिस अधीक्षक नीमच की ओर समस्त थाना प्रभारियों की सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।
13. जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीमच की ओर सूचनार्थ।
14. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ नीमच/जावद/मनासा की ओर सूचनार्थ।

  
(श्रीमती पुष्पा तिलगांम)  
वास्ते-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
नीमच (म.प्र.)